3. Surveillance over the activities of known criminals.

4. Raids over the places of ill repute and suspected hide-outs of criminals.

5. Improved intelligence gathering including exchange of information about criminals through periodic Inter-State Crime Co-ordination Meetings.

6. 'Operation Black Rose' has been launched to check and sharpen and responses of Delhi Police Personnel in a simulated crime situation.

Conversions of Tribals to Christianity

240.SHRI E. BALANANDAN:
SHRI NARENDRA MOHAN:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the number of tribals and other people converted into Christianity in various States of the country;

(b) the number of tribal Christians and other members of Christian community reconverted from Christianity to Hinduism in recent times; and

(c) whether Government are aware of instance sin which conversion or reconversion were done forcibly and if so, the number thereof?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): (a) to (c) The Central Government does not maintain any data in this regard. Some states have, however, enacted legislation providing for prohibition of conversion from one religion to another by use of force or allurement/inducement or by fradulent means.

ईसाई मिशनरियों पर हमले

241. **श्री गुफ़राने आज़मः**
श्री अवनि रायः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को विगत कुछ महीनों में देश के विभिन्न भागों में ईसाई मिशनरियों पर हुए हमलों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरे क्या हैं;

(ग) ऐसे हमलों को रोकने के लिए क्या रणनीति अपनायी गई है; और

(घ) क्या सरकार ने संबंधित सरकारों से प्रतिवेदन मांगे है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवानी): (क) से (ग) अक्तूबर, 1998 से, देश के विभिन्न भागों में ईसाईयों/ईसाई मिशनरियों पर हुए हमलों की घटनाओं को दर्शाते हुए एक विवरण संलग्न हैं। (नीचे देखिये)

भारत के संविधान के अनुसार "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य के विषय हैं। अपराधों को दर्ज करने, उनकी जांच-पड़ताल करने और उनकी रोकथाम करने सहित पता लगाने की जिम्मेवारी मुख्यतया राज्य सरकारों की है। अलग-अलग मामलों के ब्यौरे केन्द्र स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

अल्पसंख्यकों से संबंधित हाल की घटनाओं के बाद संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों को सलाह दी गई है कि अल्पसंख्यकों को परेशान करने संबंधी शिकायतों पर तुरन्त कारवाई करने के लिए जिले के कानून और व्यवस्था प्रवर्तन प्राधिकारियों को उचित अनुदेश जारी करें तथा दोषी व्यक्तियों की पहचान करने और उन्हें दंडित करने हेतु शीघ्र और प्रभावकारी कार्रवाई शुरू करें।